तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 17/2012 अनवान पुरूषोतमदास बनाम ग्राम पंचायत बाडमेर
20/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा दिनांक 06.07.1978 को एकपक्षीय रूप से नामान्तकरण संख्या 1026 उरतदाता संख्या 02 व 03 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। मौजा बाडमेर वर्तमान राजस्व गांव लालाणियों की ढाणी बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर के खसरा संख्या 806 रकबा 32.07 बीघा भूमि का बगताराम पुत्र गोरधनराम 1/2, गाजेलाल, अमृतलाल पिसरान बिजाराम 1/2 हिस्सा कोम जोशी के नाम आया हुआ है। वर्ष 1962 में बगताराम की मृत्यु हो गई जिसका नामान्तकरण 23.09.1977 को बगताराम के पुत्र अपीलान्ट एवं हरीदास के नाम से स्वीकृत किया गया तथा जमाबन्दी में पुरूषोतम, हरीदास पिसरान बगतारात 1/2 गाजेलाल अमृतलाल पिसरान बींजाराम 1/2 अनुसार खातेदारी में दर्ज किया गया। तत्पश्चात अमृतलाल ने उतरदाता संख्या 02 व 03 से मिलकर उपरोक्त भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 02 व 03 के पक्ष में दिनांक 03.02.1978 को करवाया जो बेचान अमृतलाल द्वारा उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम पंजीयन किया गया जो दिनांक 24.02.1978 को दस्तावेज क्रमांक 138/78 के रूप में पंजीयन है। उक्त पंजीयन दस्तावेज के आधार पर दिनांक 04.07.1978 को पटवारी हल्का ने पुरे खेत खसरा संख्या 806 रकबा 32.07 बीघा भूमि का नामान्तकरण संख्या 1026 उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम से भरा एवं दिनांक 06.07.1978 को ग्राम पंचायत बाडमेर आगोर द्वारा स्वीकृत किया जो विधि के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। वकील अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि पुरूषोतम, हरीदास पिसरान बगतारात 1/2 गाजेलाल अमृतलाल पिसरान बींजाराम 1/2 अनुसार खातेदारी में दर्ज थी परन्तु बेचान संख्या 138/78 दिनांक 24.02.1978 द्वारा बेचानकर्ता मात्र अमृतलाल पुत्र विजेराम था उक्त उक्त बेचान में मात्र अमृतलाल के हस्ताक्षर है। अमृतलाल ने ही उक्त बेचान की प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दी, जिसका नामान्तकरण एकपक्षीय रूप से

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

स्वीकृत कर सभी खातेदारान की भूमि को उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम भर दी गई जिस बेचान पर अन्य खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित नही हुए । अपीलान्ट एवं हरीदास का अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा निर्वावाद था। अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय विलेख निस्पादित नही किया गया था फिर भी अपीलान्ट उक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 02 व 03 के पक्ष में उतरदाता संख्या 01 ने स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर आज भी काबिज है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकृत का उतरदाता संख्या 01 द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1026 दिनांक 06.07.1978 को निरस्त फरमाया जावें।

वकील उतरदाता संख्या 02 व 03 की और से लिखित प्रक्कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 1026 दिनांक 06.07.1978 स्वीकृत किया जो ग्राम पंचायत की आम बैठक में स्वीकृत किया गया है जिस पर किसी प्रकार की आपति दर्ज नही हुई तथा न ही किसी प्रकार का विवाद था। अपीलाधीन भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि थी परन्तु उक्त सम्पूर्ण भूमि का कब्जा काश्त अमृतलाल का ही था और गाजेलाल (भोजीराम) कालीकार मद्रास में पुजारी बन गया तथा हरीदास अध्यापक की सरकारी नौकरी पर था। उक्त भूमि पर अमृतलाल का ही कब्जा था तथा उक्त बेचान का सम्पूर्ण अधिकार भी अमृतलाल का था। उक्त आराजी का उतरदाता संख्या 02 व 03 ने 3200/– रूपये फलस्वरूप अमृतलाल से पंजीबद्ध बेचान के आधार पर क्रय की थी तथा उक्त दस्तावेज विधि सम्मत है तथा उक्त बेचान के आधार पर उतरदाता संख्या 01 ने नामान्तकरण संख्या 1026 दिनांक 06.07.1978 स्वीकृत किया जो ग्राम पंचायत की आम बैठक में स्वीकृत किया गया है। हस्तगत अपील 34 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन भूमि संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान अमृतलाल द्वारा किये गये बेचाननामे दिनांक 03.02.1978 की जानकारी अपीलकर्ता को थी क्योकि अपीलकर्ता के भाई लक्ष्मीनारायण उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तरीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व अपील संख्या 17/2012 अनवान पुरूषोतमदास बनाम ग्राम पंचायत बाडमेर

हरीदास बाडमेर में निवास करता था। लिहाजा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद के बिन्दु से बाहर है तथा सिविल क्षेत्राधिकार की है तथा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलाधीन भूमि में जो नामान्तकरण पारित किया गया है वह रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर किया गया है। लिहाजा अपील पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर